

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (सुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक - 29/11/18

क्रमांक प.5(17)चिस्वा/2/14/लूज

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर।

विषय:- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 1805, 1813, 1847 दिनांक 01.12.2017 व 04.12.17
दिनांक 30.11.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा निर्नांकित चिकित्सकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक एवं पदनाम	वीआरएस तिथि
1.	डॉ. सुरेश गेरा, प्रमुख विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	01.02.2018
2.	डॉ. परविन्द्र सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन)	01.02.2018
3.	डॉ. राजकुमार सक्सैना, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन)	01.02.2018

उक्त चिकित्सकों आम जन को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने एवं प्रशासनिक कार्यों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उक्त चिकित्सकों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चिकित्सकों को पाबंद करने का श्रम कराये।
2. संबंधित चिकित्सक द्वारा निदेशक (जन.स्वा.)।
3. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/एस-1343/2018/ 169 दिनांक : 30.01.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय जिला चिकित्सालय, अलवर।
2. डॉ. सुरेश गैरा प्रमुख विशेषज्ञ (नेत्र) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
3. निजी पत्रावली। / ~~मवेत~~ ~~रूप~~ ~~में~~ ~~उक्त~~ ~~के~~ ~~अनुषंग~~ ~~आज~~ ~~ही~~ ~~पत्र~~ ~~की~~ ~~विभागा~~ ~~की~~ ~~बेत~~ ~~धारे~~ ~~पर~~ -
अपनी ~~कृपया~~।


अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।